न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः– 1/2018 (75 एल.आर.एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00028

उनवान

विष्णु पुत्र मोतीराम कौम ब्राहम्ण निवासी ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद तहसील बाडी जरिये प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय रा0उ0मा0वि0 चिलाचौंद तहसील बाडी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

.....रेस्पोडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधि0 विरूद्ध आवण्टन आदेश दिनांक 29.11.17 जिला कलक्टर, धौलपुर प्रकरण संख्या 12/3(69) राजस्व/2017/107।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह राणा अनुपस्थित।
2. पैरोकार सरकार श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक–12.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

1. यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत, न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, बाडी एवं तहसीलदार बाडी द्वारा एक प्रस्ताव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद के खेल मैदान हेतु ग्राम चिलाचौंद तहसील बाडी की आराजी खसरा नम्बर 2662/2240 रकबा 08 बीघा 19 विस्वा किस्म सिवायचक बजंड में से 5 बीघा भूमि आवंटन किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर ने उक्त प्रस्ताव बाद जॉच, भू राजस्व (स्कूलो, कालेजो, औषधालयों, धर्मशालाओं तथा लोकोपयोगी अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिकृत सरकारी कृषि भूमियों का आवंटन) नियम 1963 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद के खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह

अपील इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 में तर्क है कि विवादित आराजी, पर अपीलाण्ट का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है एवं विवादित आराजी अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से लगी हुई है। अतः अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से पीडित है। चूंकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही थे। अतः धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील प्रस्तुत की जा रही है। धारा 96 सी0पी0सी0 के तहत अपील ग्रहण की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

4. वक्त बहस अपीलाण्ट की ओर से एडवोकेट श्री राकेश विवेक ने उपस्थित होकर समय चाहा। परन्तु वकालतनामा पर उनके हस्ताक्षर अंकित नहीं पाये गये। इस पर एडवोकेट श्री बच्चू सिंह ने उपस्थित होकर बहस के लिए समय दिये जाने की प्रार्थना की परन्तु उनके भी हस्ताक्षर वकालतनामा पर नहीं पाये गये। न्यायालय के द्वारा यह पूछे जाने पर पर कि अपीलाधीन भूमि पर उनके क्या हित निहित हैं, योग्य अभिभाषकगण सर्व श्री राकेश विवेक व बच्चू सिंह कोई उत्तर नहीं दे पाये। रैस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस सुनने का आग्रह किया। इसके उपरांत एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह राणा ने उपस्थित होकर बहस हेतु समय चाहा। अपीलाण्ट के अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी पर उनका पचासो वर्ष से कब्जा है। अतः अपील के समर्थन में तर्क एवं कानून पेश करने को समय दिया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार के प्रस्तावों की भली भाँत जॉच कर भू राजस्व अधिनियम 1963 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद को आवंटित की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का सांगोपांग अवलोकन किया। अपीलाण्ट को स्वयं की अपील के निस्तारण में विलम्ब के लिए; न्यायालय किसी प्रकार सहयोग नहीं कर सकता है; विशेषतः उस दशा में जब अपील किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आदेश के विरूद्ध की गई हो। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य व दस्तावेजो पर मनन किया। कार्यालय ग्राम पंचायत चिलाचौंद ने अपने पत्र क्रमांक 2017–18 दिनांक 18.07.2017 से तहसीलदार बाडी को सूचित किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिलाचौंद के खेल मैदान हेतु अपने प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.07.2017 से अपीलाधीन आवंटन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया है। पर्चा मौका जो मजमे आम में दिनांक 19.07.2017 को बनाया गया है में अपीलाधीन भूमि मौके पर खाली व निर्विवाद बताई गयी है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व योग्य जिला कलक्टर द्वारा आवंटन प्रस्ताव की सम्यक जॉच की गयी है। अतः अपीलाधीन आदेश को सरसरी तौर पर चुनौती नहीं दी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जा सकती है। अपीलाण्ट का यह तर्क कि आवंटित भूमि पर उनका पचासों वर्ष से कब्जा है; ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण–पत्र व मजमे आम पर्चा मौका के प्रकाश में थोथे मालूम होते हैं। तर्क के लिए यदि अपीलाण्ट का कब्जा मान भी लिया जावें तो भी अपीलाण्ट इस कथित कब्जे का कोई वैधानिक आधार नहीं बता पाया है। आवंटित भूमि जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 01 में मिल्कियात सरकार एवं भूमि वर्गीकरण में किस्म बंजड प्रथम दर्ज रिकार्ड है। अतिक्रमण मात्र से किसी भी प्रकार के अधिकारो का सृजन नहीं होता है। अपीलाण्ट ने अपीलाधीन भूमि पर अपने अधिकारो की घोषणा हेतु अपने कथित ''पचासों वर्ष'' के कब्जे के दौरान कोई प्रयास मात्र भी किया हो, इस बाबत् कोई कथन भी नहीं किया है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि से अपीलाण्ट को किसी भी प्रकार का सम्बन्ध हम नहीं पाते हैं। अपील पूर्णतः सारहीन एवं बोगस है। राजकीय भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन में जिस प्रकार बाधा डालने व अपील के निस्तारण को विलम्बित करने का प्रयास किया गया है वह सर्वथा तिरस्कार योग्य है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान जिला कलक्टर, धौलपुर के आदेश दिनांक 29.11.2017 यथावत् रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official